रा.पु.मु.ज./5–99/70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं.

1. जिला.चौकी ,भ्र.नि.ब्यूरो अलवर द्वितीय ....थाना...प्रधान आरक्षी केन्द्र,भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर वर्ष ..2023.
   प्र. इ. रि. सं. 80/2023 दिनांक 7/4/2023
2. (अ) अधिनियम –भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018..)धारायें...7, पी.सी एक्ट .....
   (ब) अधिनियम .....धारायें.....
   (स) अधिनियम .....धारायें.....
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....133.....समय.....5:50 Pm.....
   (ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक /06.04.2023/समय. 01.05 पी.एम.....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 03.04.2023/10.20 ए0एम0.....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा उत्तर दूरी लगभग 42 कि0मी0 ....
   (ब) पता–कार्यालय सीडीपीओ मुण्डावर जिला अलवर..... बीट सख्या ...जरायमदेहीसं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो–पुलिस थाना..... जिला.....

6.परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम श्रीमती अन्जू देवी
   (ब) पति का नाम .... श्री मनोज कुमार.....
   (स) जन्म तिथि / 32 वर्ष .....
   (द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
   (य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....
   जारी होने की जगह.....
   (र) व्यवसाय..... सर्विस .....
   (ल) पता–गांव शीलगांव तहसील मुण्डावर जिला अलवर, हाल आंगनवाडी कार्यकर्ता आंगनवाडी केन्द्र गुवरियों की ढाणी मुण्डावर जिला अलवर,

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

श्रीमती सुशीला कुमारी पत्नी श्री कुलवीर सिंह जाति जाट उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट रानोठ तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल महिला सुपवाईजर कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मुण्डावर जिला अलवर मुख्यालय ततारपुर (अलवर)

8. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) .....
   .....26,000/–रूपये रिश्वत राशि .....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा/यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....
    .....26,000/–रूपये रिश्वत राशि .....
11. मृत्यू समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यू मामला सं0)(यदि कोई हो तो) नहीं
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवा में, उप अधीक्षक महोदय जी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी (अलवर) विषयः–रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाने हेतु, मान्यवर, निवेदन है कि मै आंगनवाडी कार्यकर्ता अन्जू देवी W/O श्री मनोज कुमार निवासी शीलगांव गंवरियों की ढांणी में आगनवाडी केन्द्र का संचालन करती हूं। श्रीमान जी आंगनवाडी केन्द्रो पर महिलाओं व बच्चों के लिये S.H.G.द्वारा पोषाहार सप्लाई किया जाता है, जो कार्यकर्ता द्वारा बनाये गये S.H.G. द्वारा किया जाता है श्रीमान जी सितम्बर 2019 से मार्च 2020 तक मेरा भुगतान 1 लाख के करीब हुआ है, जिसका मैडम सुशीला मुझसे 15% मांग रही ह, श्रीमान जी जो पोषाहार मै पहले खुद लागत लगा कर फिर विभाग द्वारा पैसे आते है हम गरीब लोग है मानदेय भी 8500 रू. मिलता है हम पैसे कहां से लायें 15% के हिसाब से मेरा 15000 रू. बनता है इसमें विभाग के सभी कर्मचारी शामिल है जिसमें CDPO, DD, सुशीला LS, कृष्णा LS, रामा LS, निर्मला LS, BC सतीश कुमार सभी पैसो को बाट कर आपस में लेंगे, ये बात LS ने बताई, पैसे नहीं देने पर मानदेय काटने की धमकी दे रही है कि मुझे पैसे चाहिये कहीं से भी ला कर दो । मेरे साथ साथ दूसरी सहयोगियों के पैसे भी मुझसे इक्ट्ठी करने की बात भी कह रही है। इन्होने सभी कार्यकर्ताओं को परेशन कर रखा है, श्रीमान जी हमें इनके चुगल से बचाने का कष्ट

(1)

करें तथा इनसे मेरी कोई रंजिश या आपसी लेन–देन नहीं है। कृपया इनको रंगे हाथ पकड़वाने का कष्ट करें। आपकी बहुत आभारी रहूंगी। हस्ताक्षर–प्रार्थी अन्जू देवी **W/O.** मनोज कुमार ग्राम शीलगांव केन्द्र गुवरियों की ढांणी मुण्डावर जिला अलवर मो0 – 7665628617, ह0परमेश्वर लाल पु0उ0अ0 03.4.23, स्वतंत्र गवाह–विनोद कुमार व हरिओम सोनी दिनांक 06.04.2023,

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 03.04.2023 को समय 10.20 ए.एम. पर परिवादिया श्रीमती अन्जु देवी पत्नी श्री मनोज कुमार उम्र 32 वर्ष जाति प्रजापत निवासी ग्राम शीलगांव तहसील मुण्डावर जिला अलवर, हाल आंगनवाडी कार्यकर्ता आंगनवाडी केन्द्र गुवरियों की ढांणी मुण्डावर जिला अलवर ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी अलवर द्वितीय अलवर में मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त लिखित रिपोर्ट मुझे पेश की। जिस पर मैने परिवादिया की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर रिपोर्ट में अंकित तथ्यों बाबत परिवादिया से पूछताछ की गई तो उसने स्वयं का पढालिखा होना तथा उक्त लिखित रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिखित व हस्ताक्षरित होना तथा अंकित तथ्य सही होना बताया तथा मजीद दरियाफ्त पर बताया कि– मै आंगनवाडी केन्द्र शीलगांव में आंगनवाडी कार्यकर्ता हूं, आंगनवाडी केन्द्रो पर महिलाओं व बच्चों के लिये एस.एच.जी. द्वारा पोषाहार सप्लाई किया जाता है जो कार्यकर्ता द्वारा बनाये गये एस.एच.जी. द्वारा किया जाता है, हमारे सितम्बर 2019 से मार्च 2020 तक मेरा भुगतान 01 लाख के करीब हुआ है, जिसका मैडम सुशीला मुझसे 15 प्रतिशत मांग रही है जो पोषाहार मै पहले लागत लगा कर क्रय करती हूं तथा फिर विभाग द्वारा पैसे आते है हम गरीब लोग है मानदेय भी 8500/–रूपये मिलता है हम पैसे कहां से लायें 15 प्रतिशत के हिसाब से मेरा 15000/–रूपये बनता है इसमें विभाग के सभी कर्मचारी शामिल है जिसमें सीडीपीओ, डीडी, सुशीला एलएस, कृष्णा एलएस, रामा एलएस, निर्मला एलएस, बीसी सतीश कुमार सभी पैसो को बाट कर आपस में लेंगे, ये बात एलएस ने बताई, तथा पैसे नहीं देने पर मानदेय काटने की धमकी दे रही है कि मुझे पैसे चाहिये कहीं से भी ला कर दो । मेरे साथ साथ दूसरी सहयोगियों के पैसे भी मुझसे इक्ट्ठी करने की बात भी कह रही है। इन्होने सभी कार्यकर्ताओं को परेशन कर रखा है, हमें इनके चुगल से बचाने का कष्ट करें तथा रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवानें की कृपा करें, इनसे मेरी कोई रंजिश नहीं है नांही कोई लेन–देन बकाया है इनके पास हमारे अभी कई पोषाहार के बिल बैरीफाई एवं भुगतान हेतु बकाया है, तथा जब तक उनकी मांग अनुसार रूपये नहीं देगे तब तक हमारे बिलो को ना तो वैरीफाई करेंगे और नांही भुगतान करेंगे। मै यह कार्यवाही किसी राजनैतिक कारणों से या किसी के बहकावे में आकर नहीं बल्की स्वयं की स्वेच्छा से नाजायज तौर पर रिश्वत मांगे जाने पर करा रही हूं। परिवादिया ने अपनी पहचान स्वरूप अपने स्वयं के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जिसे शामिल रनिंग नोट किया गया। परिवादिया की लिखित रिपोर्ट एवं की गई दरियाफ्त आदि से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर परिवादिया को आरोपिया श्रीमती सुशीला एल.एस. से रिश्वत राशि की मांग के संबंध में वार्ता कर उक्त वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करके लाने हेतु कहा गया तो परिवादिया ने बताया कि आज अवकाश होने से महिला आंगनवाडी केन्द्र एवं कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग मुण्डावर बन्द रहेगा तथा आरोपिया का भी अवकाश होने से आज मिलना संभव नहीं है वह दिनांक 04.04.2023 को कार्यालय में मिलेगी जिससे रिश्वत मांग के संबंध में वार्ता हो सकती है। इस पर परिवादिया के कहे अनुसार दिनांक 04.04.2023 को रिश्वत राशि की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना उचित समझते हुये परिवादिया श्रीमती अन्जू देवी को कानि0 श्री रामजीत सिंह के मोबाईल नम्बर देकर उससे दिनांक 04.04.2023 को सम्पर्क कर एवं उक्त कानि0 को कस्वा मुण्डावर में बस स्टेण्ड पर मिलने एवं उससे वाईस रिकार्डर प्राप्त कर उक्त कानि0 के हमराह आरोपिया सुशीला एल.एस. के पास जाकर उसके द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि के संबंध में वार्ता कर उक्त वार्ता को वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करने की हिदायत कर एवं कार्यालय अलमारी से डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड 32 जीबी निकालकर उसे चालू एवं बन्द करने का तरीका बताकर उक्त वॉईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड सहित वापस कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा जाकर परिवादिया को आवश्यक समझाईस एवं गोपनीयता रखने की हिदायत देकर कार्यालय से रवाना किया गया, तथा श्री रामजीत सिंह कानि0 नम्बर–206 से जरिये दूरभाष वार्ता कर परिवादिया श्रीमती अन्जू देवी के मोबाईल नम्बर देकर एवं कार्यालय अलमारी से डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के निकालकर साथ लेकर दिनांक 04.04.2023 को परिवादिया श्रीमती अन्जू के कथनानुसार गन्तव्य स्थान कस्वा मुण्डावर में बस स्टेण्ड पर समय करीब 09–10 एएम के आस पास पहुचकर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादिया श्रीमती अन्जू देवी से उसके मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क कर उसके बताये अनुसार उसको हमराह लेकर कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग मुण्डावर एवं उसके द्वारा बताये हुये स्थान पर आरोपिया के पास पहुंचकर डिजीटल टेप रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित चालू कर अपनी आवाज से टैस्ट कर दिनांक भरकर एवं परिवादिया से उसका नाम बुलवाकर एवं टेप रिकार्डर प्राप्त करने संबंधी वार्ता को रिकार्ड कर चालू हालत में सुपुर्द कर परिवादिया को संदिग्ध आरोपियां के पास भेजकर उनके द्वारा की जा

(6)

रही रिश्वत की मांग के संबंध में गोपनीय सत्यापन करवाकर बाद सत्यापन डिजीटल टेप रिकार्डर मैमोरी कार्ड सहित मय परिवादिया के साथ कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई तथा साथ में अन्य दीगर सत्यापन कार्यवाही कराने हेतु भी पाबन्द किया गया। इसके बाद दिनांक 05.04.2023 को समय 03.30 पीएम पर श्री रामजीत सिंह कानि0 नम्बर 206 ने मन् पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर डिजीटल टेप रिकार्डर मैमोरी कार्ड सहित पेश कर बताया कि आपके निर्देशानुसार दिनांक 04.04.2023 को मैने परिवादिया श्रीमती अन्जू देवी महिला आंगनवाडी कार्यकर्ता से उसके मोबाईल फोन पर सम्पर्क किया तो उसने बताया कि आरोपिया सुशीला महिला सुपरवाईजर आज छुट्टी पर है वह कल दिनांक 05.04.2023 को आंगनवाडी केन्द्र अजरका में आयेगी आप अजरका टेप लेकर आ जाना जिस पर मै आज दिनांक 05.04.2023 को प्रातः परिवादिया श्रीमती अन्जू देवी से सम्पर्क कर कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्ड मय नये मैमोरी कार्ड 32 जीबी सहित जरिये एचएम प्राप्त कर साथ लेकर अलवर कार्यालय से जरिये सरकारी मोटरसाईकिल रवाना होकर अजरका में बस स्टेण्ड के पास पहुंचा जहां पर मैने परिवादिया श्रीमती अन्जू महिला आंगनवाडी कार्यकर्ता से उसके मोबाईल फोन पर सम्पर्क किया जो मुझे अजरका में बस स्टेण्ड के पास मिली जिसने मुझे बताया कि आरोपिया श्रीमती सुशीला एल.एस. महिला आंगनवाडी केन्द्र अजरका में आई हुई है जिससे रिश्वत के सम्बन्ध में उक्त केन्द्र पर ही बात हो जायेगी। इस पर मैने परिवादिया श्रीमती अन्जू देवी को डिजीटल वाईस रिकार्ड मैमोरी कार्ड डले सहित चालू करके परिवादिया को दिया जो उसने अपने पास रख लिया उसके बाद हम दोनो वहां से आगे पीछे रवाना होकर महिला आंगनवाडी केन्द्र अजरका के पास पहुंचे जहां पर परिवादिया आंगनवाडी केन्द्र अजरका के अन्दर चली गई तथा मै उस पर नजर मिलाता हुआ बाहर ही खडा रहा, कुछ समय के बाद परिवादिया बाहर आई और एकान्त स्थान पर आकर मुझे अपने पास से टेप रिकार्डर निकालकर दिया जो चालू हालत में था जिसे मैने बन्द कर अपने पास रख लिया उसके बाद परिवादिया ने मुझे बताया कि मेरी आंगनवाडी केन्द्र अजरका पर श्रीमती सुशीला एलएस से बात हो गई है उसने मुझसे मेरे आंगनवाडी केन्द्र के वर्ष 2019 से मार्च 2020 तक एस.एच.जी. द्वारा सप्लाई पोषाहार बिलों के किये गये भुगतान में से 15 प्रतिशत राशि 15000/—रूपये एवं अन्य सहयोगी कार्यकर्ताओं के पोषाहार के हुये भुगतान का भी 15 प्रतिशत राशि इक्ट्ठा करने का दबाब बनाकर रिश्वत राशि की मांग की जाकर रिश्वत राशि कल दिनांक 06.04.2023 को देने के लिये कहा है मैने उसकी सारी बातों को टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है, तथा परिवादिया ने बताया कि मुझे आज जरूरी कार्य है तथा रिश्वत के पैसो का भी इन्तजाम करना है मै कल दिनांक 06.04.2023 को प्रातः आपके कार्यालय अलवर में हाजिर हो जाउंगी जिस पर मैने परिवादिया द्वारा बताई गई बातों के बारे में आपको जरिये दूरभाष अवगत कराया एवं आपके निर्देश पर परिवादिया को व हीं पर छोडकर दूसरी मांग सत्यापन कार्यवाही में व्यस्त हुआ। इस पर श्री रामजीत सिंह कानि0 से प्राप्त शुदा टेप रिकार्ड को मैमोरी कार्ड डले सहित को चालू कर उसमें रिकार्ड वार्ता के मुख्य मुख्य अंशों को एयरफोन की मदद से सुना गया तो आरोपिया द्वारा परिवादियां से रिश्वत राशि की मांग किया जाना स्पष्ट पाया गया। उक्त मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड शुदा डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड डले सहित सुरक्षित कार्यालय अलमारी में रखा गया, इसके बाद सहायक निदेशक जिला रोजगार कार्यालय अलवर से दो गवाह श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक, व श्री हरिओम सोनी कनिष्ठ, सहायक, को जरिये तहरीर तलब कर बुलाया जाकर नाम पते पूछकर कार्यवाही से अनभिज्ञ रखते हुये दिनांक 06.04.023 को प्रातः 08.00 एएम पर कार्यालय में आने हेतु पाबन्द कर रवाना किया गया, तथा संचित निरीक्षक पुलिस लाईन अलवर के नाम तहरीर जारी कर जरिये कानि0 राजवीर भिजवाया जाकर दो महिला कानि0गण सिविल ड्रेस में दिनांक 06.04.2023 को प्रातः 8.30 एएम पर कार्यालय में पाबन्द कर भिजवाये जाने हेतु पाबन्द कराया गया। इसके बाद दिनांक 06.04.2023 को समय 08.10 एएम पर पाबन्द शुदा दोनो गवाहान विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक, श्री हरिओम सोनी कनिष्ठ, सहायक, उपस्थित कार्यालय आये जिन्हें कार्यालय में बैठाया गया तत्पश्चात समय 09.00 एएम पर पुलिस लाईन अलवर से पाबन्द शुदा श्रीमती मकोल देवी महिला कानि0 नम्बर 1863 व श्रीमती रीना महिला कानि0 273 उपस्थित कार्यालय आई जिनको कार्यालय में बैठाया गया। इसके बाद समय 09.10 ए.एम. पर परिवादिया श्रीमती अन्जू देवी महिला आंगनवाडी कार्यकर्ता उपस्थित कार्यालय आई एवं बताया कि दिनांक 04.04.2023 को आपके सिपाही रामजीत ने मुझसे मोबाईल फोन पर सम्पर्क किया तो मैने उन्हें बताया कि आरोपिया सुशीला महिला सुपरवाईजर आज छुट्टी पर है वह कल दिनांक 05.04.2023 को आंगनवाडी केन्द्र अजरका में आयेगी आप अजरका टेप लेकर आ जाना जिस पर आपका सिपाही रामजीत कल दिनांक 05.04.2023 को प्रातः मुझसे फोन पर सम्पर्क कर मोटरसाईकिल से अजरका में बस स्टेण्ड पर आया और मुझसे मिला तो मैने उसको बताया कि आरोपिया श्रीमती सुशीला एल.एस. महिला आंगनवाडी केन्द्र अजरका में आई हुई है जिससे रिश्वत के सम्बन्ध में उक्त केन्द्र पर ही बात हो जायेगी। इस पर आपके सिपाही रामजीत ने मुझे छोटा सा टेप रिकार्डर चालू कर दिया जिसे मैने अपने पास रख लिया उसके बाद हम दोनो वहां से आगे पीछे रवाना होकर महिला आंगनवाडी केन्द्र अजरका के पास

पहुंचे जहां पर मै आंगनवाडी केन्द्र अजरका के अन्दर चली गई तथा आपका सिपाही मुझसे नजर मिलाता हुआ बाहर ही खडा रहा, मैने आंगनबाडी केन्द्र अजरका में जाकर श्रीमती सुशीला एलएस से बातचीत की तो उसने मुझसे मेरे आंगनवाडी केन्द्र के वर्ष 2019 से मार्च 2020 तक एस.एच.जी. द्वारा सप्लाई पोषाहार बिलों के किये गये भुगतान में से 15 प्रतिशत राशि 15000/–रूपये एवं अन्य सहयोगी कार्यकर्ताओं के पोषाहार के हुये भुगतान का भी 15 प्रतिशत राशि इक्ट्ठा करने का दबाब बनाकर रिश्वत राशि की मांग की और रिश्वत राशि कल दिनांक 06.04.2023 को देने के लिये कहा मैने उसकी सारी बातों को टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया और आंगनवाडी केन्द्र से बाहर आकर मैने टेप रिकार्डर आपको सिपाही रामजीत सिंह को दे दिया जिसने बन्द कर आपने पास रख लिया उसके बाद मैने सारी बातें आपके सिपाही को बता दी और बताया कि मुझे जरूरी कार्य है तथा रिश्वत के पैसो का भी इन्तजाम करना है मै दिनांक 06.04.2023 को प्रातः आपके कार्यालय अलवर में हाजिर हो जाउंगी जिस पर आपके सिपाही ने आपसे बात करके मेरी बताई हुई बातों के बारें में बता दिया था एवं मेरी भी आपसे बातें कराई थी तथा आपके कहने पर आपका सिपाही मुझे वहीं पर छोडकर चला गया था। इसके बाद मै आरोपिया द्वारा मांगी गई मेरे हिस्से की रिश्वत राशि 15000/–रू0 एवं मेरे अन्य सहयोगी कार्यकर्ताओं की हिससे की राशि अलग अलग 11 हजार रूपये कुल 26000/–रूपयों की व्यवस्था कर साथ लेकर आई हूं, तथा परिवादिया ने मुझे बताया कि आज आरोपिया श्रीमती सुशीला एलएस अपने मुख्यालय ततारपुर पर मिलेगी, परिवादिया को कार्यालय में बैठाया गया , तथा कार्यालय में उपस्थित दोनो गवाह श्री विनोद कुमार व श्री हरिओम सोनी कनिष्ठ सहायकगण से मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति प्राप्त की गई तत्पश्चात कार्यालय में उपस्थित महिला कानि0गण श्रीमती मकोलदेवी व श्रीमती रीना की मौजूदगी में कार्यालय में उपस्थित परिवादिया श्रीमती अन्जू देवी का मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान एवं महिला कानि0गण से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादिया द्वारा श्रीमती सुशीला देवी एलएस के विरूद्ध रिश्वत मांगने एवं रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत पेश लिखित रिपोर्ट दिनांक 03.04.2023 को दिखाया व पढवाया गया तथा रिपोर्ट पर दोनो गवाहो के हस्ताक्षर दिनांक अंकित करवाये गये। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादिया के सामने कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वाईस रिकार्डर जिसमें परिवादिया श्रीमती अन्जू देवी व आरोपिया श्रीमती सुशीला एलएस के मध्य दिनांक 05.04.2023 को रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता रिकार्ड है को निकालकर उक्त डिजीटल वॉईस रिकार्डर को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से चालू कराकर उसमें रिकार्ड वार्ता के मुख्य अंशों को टेविल स्पीकरों की मदद से सुना व परिवादिया एवं गवाहान को सुनाया गया जिसमें आरोपिया श्रीमती सुशीला एलएस द्वारा परिवादिया से रिश्वत राशि की मांग करना स्पष्ट पाया गया, तथा समय अभाव से वार्ता ट्रांसक्रीप्ट व डीवीडी ट्रेप कार्यवाही के दौरान बाद में तैयार किया जाना उचित समझते मांग सत्यापन की वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा सुरक्षित अपने कब्जे में सुरक्षित रखा गया। इसके बाद समय 10.15 एएम पर दोनो गवाहान के सामने एवं दोनो महिला कानि0गण की मौजूदगी में मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादिया श्रीमती अन्जू देवी को आरोपिया श्रीमती सुशीला देवी एल.एस. को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादिया श्रीमती अन्जू देवी ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 52 नोट कुल 26,000/–रूपये (छब्बीस हजार रूपये) भारतीय चलन मुद्रा के निकाल कर मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश किये, जिनका विवरण फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित कराकर गवाहान व परिवादिया को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी के अन्दर से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवाकर मंगाई जाकर श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाऊडर एक अखवार पर निकलवाकर 26,000/–रूपये के नम्बरी नोटो पर भली–भांति लगवाया गया, तथा परिवादिया श्रीमति अन्जूदेवी की जामा तलासी महिला कानि0 रीना नं. 273 एवं महिला कानि0 मकोल नं. 1863 पुलिस लाईन, अलवर से परिवादिया को अलग कमरे में भेजकर जामा तलाशी लिवाई गई तो परिवादिया के पास उसके बदन पर पहने हुये कपडों, मोबाईल फोन एवं हैण्ड बैग के अलावा कोई वस्तु नहीं छोडी गई। इसके बाद श्री धर्मवीर गुर्जर से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये 26,000/–रूपये के नोट परिवादिया के हैण्ड बैग में रखवाये गये तथा परिवादिया को समझाईस की गई कि अब वह इन पाऊडरयुक्त नोटो को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपिया के मांगने पर ही निकालकर उसे देवे तथा आरोपिया उक्त नोटो को प्राप्त करके कहां पर रखती है, इसका पूरा–पूरा ध्यान रखे तथा आरोपिया द्वारा रिश्वत में उक्त नोट प्राप्त करने पर कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर या मोबाईल फोन से मिसकॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करे साथ ही दोनो गवाहो को भी हिदायत दी गई कि वे जहां तक सम्भव हो सके परिवादिया व आरोपिया के बीच में होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद श्री

(Y)

राजवीर कानि. से एक कांच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और अजय कुमार मुख्य आरक्षक से उसके हाथ साबुन व साफ पानी से साफ कराकर ट्रेप बोक्स मंगवाकर उसमें से सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की शीशी को निकलवाकर गवाह श्री विनोद कुमार से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त घोल का रंग नहीं बदला, जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री धर्मवीर गुर्जर के दाहिने हाथ की अंगुलियों को अंगुठें सहित डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादिया एवं दोनो गवाहो को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफथलीन पाऊडर की शीशी को ढक्कन बंद करवाकर श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से वापस कार्यालय के रखी आलमारी में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की शीशी को ट्रेप बोक्स में अजयकुमार मुख्य आरक्षक के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से गिलास के धोवन को बाहर नाली में फिकवाया गया और काम में लिये गये अखवार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों एवं गिलास को सावुन पानी से साफ करवाया गया तथा गिलास को कार्यालय में रखवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों–कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, कांच के गिलासों, स्टील कटोरो, चम्मच आदि को अजय कुमार मुख्य आरक्षक से साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बोक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो गवाहान, परिवादिया, दोनों महिला कानि0 तथा, अजयकुमार मुख्य आरक्षक, श्री राजवीर कानि. के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादिया श्रीमति अन्जूदेवी को छोडकर दोनों गवाहान, तथा ट्रेप पार्टी सदस्यों व मन पुलिस उप अधीक्षक की आपस में एक दूसरे से तथा दोनो महिला कानि0 की आपस में एक दूसरे से जामा तलासी लिवाई गई जिसमें दोनो गवाहो एवं दोनों महिला कानि0 के पास मोबाईल फोन तथा मन पुलिस उप अधीक्षक एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादिया को रिश्वत लेन–देन के समय संदिग्ध आरोपी से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वाईस रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझा कर परिवादिया को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय 11.30 एएम पर कार्यालय स्टाफ सदस्यों के हाथों को साबुन व साफ पानी से साफ करवाया जाकर एवं परिवादिया को बताये गये रिश्वत स्वीकृति निर्धारित ईशारे के बारे में बताया जाकर श्री अजय कुमार हैड कानि0 नम्बर 36, को मय ट्रेप बौक्स लेपटोप मय प्रिंटर व आवश्यक संसाधान आदि साम्रगी सहित मय निहाल सिंह कानि0 595, के सरकारी गाडी टेवरा से मय चालक महेशचन्द के बाद हिदायत आगे–आगे रवाना कर उनके पीछे पीछे मन पुलिस उप अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री विनोद कुमार व श्री हरिओम सोनी एवं परिवादिया श्रीमती अन्जू देवी एवं स्टाफ सदस्य श्री सतीश कुमार कानि0 नं0 275 श्री रामजीत सिंह कानि0 206, श्री राजवीर सिंह कानि0 443 व श्रीमती मकोल बाई महिला कानि0 1863 व श्रीमती रीना महिला कानि0 273 को जरिये प्राईवेट वाहन लेकर एसीबी कार्यालय अलवर से रवाना मुण्डावर वाया ततारपुर चौराहा हुआ, कार्यालय में नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक को बाद हिदायत छोडा गया। इसके बाद समय 11.55 एएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के रवाना शुदा ततारपुर चौराहे से पहले पहुंचा और वाहनों को रोड के बांई साईड में अलग अलग खडा करवाया गया, जहां पर परिवादिया ने बताया कि मैने जानकारी की है तो ज्ञात हुआ है कि आरोपिया श्रीमती सुशीला देवी एलएस ततारपुर पर नहीं नहीं है वह सीडीपीओ कार्यालय मुण्डावर में गई हुई है और वही पर मिलेगी, जिस पर समय 12.02 पीएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय गवाहान, परिवादिया एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों मय महिला कानि0गण के सरकारी एवं प्राईवेट वाहनों से रवाना कस्वा मुण्डावर होकर समय 12.30 पीएम पर कस्वा मुण्डावर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुण्डावर के पास मैन बाजार में पहुंचा एवं वाहनों को रोड के बांयी साईड में खडा करवाया गया जहां पर परिवादिया श्रीमती अन्जू देवी का पति श्री मनोज कुमार मोटरसाईकिल सहित खडा मिला जिस पर प्राईवेट वाहन में से परिवादिया श्रीमती अन्जू देवी को उतार कर टेप रिकार्डर चालू करने की हिदायत देकर उसके उपस्थित आये हुये पति श्री मनोज कुमार के साथ मोटरसाईकिल से आरोपिया श्रीमती सुशीला कुमारी महिला सुपरवाईजर के पास कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग मुण्डावर के लिये रवाना किया गया एवं सरकारी वाहन को वहीं पर मय चालक महेश कुमार के बाद हिदायत छोडा जाकर परिवादियां के पीछे पीछे मन पुलिस उप अधीक्षक मय गवाहान व स्टाफ सदस्यों को लेकर जरिये प्राईवेट वाहनो से रवाना होकर पंचायत समिति मुण्डावर के गेट के पास मैन बाजार में पहुंचा जहां से परिवादिया श्रीमती अन्जू देवी ट्रेप पार्टी से नजर मिलाते हुये पंचायत समिति परिसर स्थित कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग मुण्डावर के लिये पैदल

पैदल रवाना हो गई जो सभी को दिखाई दी, जिस पर वाहन में से दोनो महिला कानि0 श्रीमती रीना नम्बर–273, श्रीमती मकोलबाई नम्बर 1863 को उतार कर परिवादिया के पीछे पीछे पैदल–2 रवाना किया तथा निहाल सिंह कानि0 को बाद हिदायत वाहन में छोडा जाकर मन पुलिस उप अधीक्षक परमेश्वर लाल मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री विनोद कुमार व श्री हरिओम सोनी एवं स्टाफ सदस्य श्री अजय कुमार हैड कानि0 36, श्री रामजीत सिंह कानि0 206, श्री राजवीर सिंह कानि0 443, श्री सतीश कुमार कानि0 275 को हमराह लेकर उनके पीछे–पीछे एक एक दो के करके पैदल–2 रवाना हुआ और पंचायत समिति परिसर स्थित कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग के आस पास अपने आपको छिपाते हुये खडे हो गये, परिवादिया श्रीमती अन्जू देवी कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग मुण्डावर के अन्दर प्रवेश कर गयी तथा दोनो महिला कानि0 कार्यालय के बाहर ही खडी रही जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्य कार्यालय के ईधर उधर एक एक दो दो करके परिवादिया के ईशारे के इन्तजार में खडे हो गये,। इसी बीच स्वतंत्र गवाहान के सामने समय 01.05 पीएम पर परिवादिया श्रीमती अन्जू देवी आंगनवाडी कार्यकर्ता आंगनवाडी केन्द्र गुवरियों की ढांणी मुण्डावर जिला अलवर, ने कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मुण्डावर के मैन गेट पर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर ट्रेप का निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय गवाहान व ट्रैप पार्टी सदस्यों को एवं दोनो महिला कानि0गण को साथ लेकर तुरन्त ही परिवादिया के पास पहुंचा एवं परिवादिया से टेप रिकार्डर लेकर बन्द कर अपने कब्जे में लिया तत्पश्चात परिवादिया ने दोनो गवाहान एवं महिला कानि0गण एवं पार्टी सदस्यों के सामने मुझ पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि श्रीमती सुशीला कुमारी महिला सुपरवाईजर ने सीडीपीओ कक्ष में कुर्सी पर बैठे हुये मुझसे तय शुदा रिश्वत राशि 26 हजार रूपये अपने दाहिने हाथ में लेकर अपने ब्राउन रंग के हैड बैग के अन्दर रख लिये है वहं सीडीपीओ कक्ष में कुर्सी पर बैठी हुई है जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय गवाहान एवं दोनो महिला कानि0गण एवं पार्टी सदस्यों को एवं परिवादिया को साथ लेकर कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग मुण्डावर के प्रथम कमरे सीडीपीओ कक्ष में पहुंचा जहां पर कुर्सियों पर बैठी हुई दो महिलाओं में से कुर्सी पर सुट सलवाकर पहने बैठी हुई एक महिला जिसके हाथ में गहरे ब्राउन रंग का हैण्ड पर्स था की तरफ ईशारा कर बताया कि ये ही सुशीला कुमारी(एलएस)महिला सुपरवाईजर है जिन्होने मुझसे अभी अभी मांगकर 26 हजार रूपये रिश्वत में लिये है और रूपये अपने दाहिने हाथ में लेकर अपने ब्राउन रंग के हैण्ड बैग में रख लिये है, जो इनके हाथ में है। इस पर परिवादियां के कथनों/ईशारे अनुसार सलवार सूट पहने एवं हीथ में ब्राउन रंग के हैण्ड बैग लिये कुर्सी पर बैठी हुई महिला को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपना एवं हमराहियान का परिचय देकर एवं आने का प्रयोजन बताते हुये उससे उसका परिचय पूछा तो उसने घबराते हुये अपना नाम सुशीला कुमारी पत्नी श्री कुलवीर सिंह जाति जाट उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट रानोठ तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल महिला सुपवाईजर कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मुण्डावर जिला अलवर होना बताया, एवं मुख्यालय ततारपुर होना बताया जिसे उक्त कमरे में बैठने हेतु कम जगह होने से उक्त कार्यालय के दूसरे कमरे में महिला कानि0गण के हमराह लाया जाकर कुर्सी पर बैठाया गया तत्पश्चात श्रीमती सुशीला कुमारी महिला सुरवाईजर से परिवादिया श्रीमती अन्जू कुमारी महिला आंगनवाडी कार्यकर्ता से 26 हजार रूपये रिश्वत राशि मांग कर प्राप्त करने का कारण पूछा तो उसने बताया कि मैने इस अन्जू देवी से कोई रिश्वत नहीं मांगी और नांही ली गई है इसका मेरे पास कोई काम बकाया नहीं है। इस अन्जू ने मुझे इस रिश्वत मामले में झूठा एवं जबरदस्ती फसाया है मै निर्दोष हूं। इस पर मौके पर उपस्थित परिवादिया श्रीमती अन्जू देवी से आरोपिया द्वारा बताये गये तथ्यों बाबत पूछताछ की गई तो परिवादिया ने बताया कि –मै आंगनवाडी केन्द्र गुवारियों की ढाणी की महिला आंगनवाडी कार्यकर्ता हूं, उक्त आंगनवाडी केन्द्रो पर महिलाओं व बच्चों के लिये एस.एच.जी. द्वारा सितम्बर 2019 से मार्च 2020 तक सप्लाई किये गये पोषाहार के बिलो के किये गये भुगतान में से इनके द्वारा मुझसे 15 प्रतिशत के हिसाब से 15000/–रूपये की मांग की थी एवं मुझ पर अन्य सहयोगी कार्यकर्ताओ से भी पोषाहार के बिलो के किये गये भुगतान में से 15 प्रतिशत राशि लेकर देने का दबाब बनाया जा रहा था एवं पैसे नहीं देने पर मुझे मिलने वाली मानदेय राशि 8500/–रू. में से काटने की धमकी दी गई थी एवं कहा गया था कि मुझे पैसे चाहिये कहीं से भी लाकर दो अगर पैसे नहीं दिये तो अगले बिलों को पास व भुगतान नहीं होने दूंगी, तथा मुझे कहा था इसमें मै स्वयं एवं सीडीपीओ, डी.डी. रामा एलएस, निर्मला, कृष्णा एलएस, बीसी सतीश कुमार शामिल है जो इन पैसो को आपस में बांट कर लेंगे। इनके द्वारा पैसे देने का जब मुझ पर बहुत ज्यादा दबाब बनाया एवं नाजायज परेशान किया गया तो मैने दिनांक 03.04.2023 को इन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाने के लिए आपके विभाग में आपके पास अलवर जाकर लिखित रिपोर्ट दी थी जिस पर आपने दिनांक 05.04.2023 को अपना रामजीत नामक सिपाही टेप रिकार्डर देकर मेरे कहे अनुसार रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु मेरे पास अजरका भेजा था, जिस पर मैने उस सिपाही से टेप रिकार्डर लेकर महिला आंगनवाडी केन्द्र अजरका में जाकर इनसे बातचीत की थी तो इन्होने मुझसे

(4)

मेरे आंगनवाडी केन्द्र के वर्ष 2019 से मार्च 2020 तक एस.एच.जी. द्वारा सप्लाई पोषाहार बिलों के किये गये भुगतान में से 15 प्रतिशत राशि एवं अन्य सहयोगी कार्यकर्ताओं के पोषाहार के हुये भुगतान का भी 15 प्रतिशत राशि इक्ट्ठा करने का दबाब बनाकर 15,000/–रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी तथा अपनी मांग के अनुशरण में आज इन्होने मुझसे 26000/–रू0 मांग कर अपने दहिने हाथ में लेकर अपने हैण्ड बैग बरंग गहरा ब्राउन के अन्दर रख लिये है जो अभी भी रखे हुये है मैने इनको ये 26 हजार रूपये जबरदस्ती नहीं बल्कि इनकी मांग अनुसार रिश्वत में दिये है, इसके बाद एक बार पुनः आरोपिया श्रीमती सुशीला कुमारी महिला सुपरवाईजर से पूछताछ की गई तो उसने पूर्व के कथनों के अलावा अन्य कोई नई बात नहीं बताई,। इसके बाद आरोपिया के हाथ में लगे हुये हैण्ड बैग बरंग ग्रहरा ब्राउन को गवाह व महिला कानि0 के सामने टेबिल के उपर रखवाया गया तथा श्री अजय कुमार हैड कानि0 से सरकारी गाडी टवेरा में से ट्रेप बौक्स मंगवाया जाकर उसमें से दो स्टील के कटोरा निकलवाकर उन्हें गवाह श्री विनोद कुमार से साबुन व साफ पानी से साफ करवाकर उक्त गवाह से कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग मुण्डावर में रखे पानी से भरे कैम्पर में से दोनो कटोरों में पानी भरवाकर उनमें गवाह श्री विनोद कुमार से ट्रेप बौक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर दोनो स्टील के कटोरों में भरे हुये पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया तो दोनो स्टील के कटोंरो के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इसके बाद एक स्टील के कटोरा के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपिया श्रीमती सुशीला कुमारी महिला सुपवाईजर के दाहिने हाथ की अगुलियो व अगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीन ने देखकर धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित कर चिट व कपडे पर स्वतंत्र गवाहान, परिवादिया व आरोपिया के हस्ताक्षर करवाये जाकर एवं मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने हस्ताक्षर कर कब्जा एसीबी लिया गया। उसके बाद दूसरे स्टील के कटोरे के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपिया श्रीमती सुशीला कुमारी महिला सुपवाईजर के बांये हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गदमैला हो गया। जिसे सभी हाजंरीन ने देखकर धोवन का रंग गदमैला होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशीयों मे आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित कर चिट व कपडे पर गवाहान, परिवादिया व आरोपिया के हस्ताक्षर करवाये जाकर एवं मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने हस्ताक्षर कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपिया श्रीमती सुशीला कुमारी महिला सुपरवाईजर से परिवादिया से प्राप्त की गई रिश्वत राशि 26 हजार रूपये के बारे में पूछा तो बताया कि मुझे पैसो के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस पर परिवादिया के कथनानुसार आरोपिया श्रीमती सुशीला कुमारी के हाथ में लगे हुये हैण्ड बैग बरंग गहरा ब्राउन जिसे हाथ धुलाई से पूर्व टेबिल के उपर रखवाया गया था को दोनो महिला कानि0गण एवं गवाहान एवं परिवादिया एवं स्वयं आरोपिया के सामने स्वतंत्र गवाह श्री हरिओम सोनी से टेबिल से उठवाकर चैक करवाया गया तो उक्त हैण्ड बैग बरंग गहरा ब्राउन की दाहिनी तरफ की चेनदार जेब के अन्दर के अन्दर 500–500 रूपये नोटो की छोटी से मुडी हुई गड्डी रखी मिली जिसको उक्त स्वतंत्र गवाह से बाहर निकलवाकर गिनवाया गया तो 500–500 रूपये के 52 नोट कुल 26,000/–रूपये मिले जिन्हे जिनके नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों से करवाया गया तो हूबहू वहीं नम्बरी नोट मिले, बरामद शुदा 26000/–रूपये के रिश्वत नोटो के नम्बरो का विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर बरामद शुदा 26000/–रू. के रिश्वती नोटो को एक सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील चिट मोहर कर कागंज की चिट पर दोनों गवाहान, परिवादिया एवं आरोपिया श्रीमती सुशीला कुमारी के हस्ताक्षर कराकर एवं मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने हस्ताक्षर कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपिया श्रीमती सुशीला कुमारी महिला सुपरवाईजर से पूछा गया कि जब आपने परिवादिया से पैसे नहीं लिये तो उक्त राशि आपके स्वयं के हैण्ड बैग रंग ब्राउन में कहां से आई तो आरोपिया ने बताया कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है मेरे बैग में इस अन्जू देवी ने रख दिये होंगे। इस पर मौके पर उपस्थित परिवादिया अन्जू देवी ने इस संबंध में पूछने पर आरोपिया के उक्त कथन को गलत बताया। इसके बाद गवाह श्री विनोद कुमार से उसके दोनो हाथ साबुन व साफ पानी से साफ कराकर आरोपियां श्रीमती सुशीला कुमारी के उक्त हैण्ड बैग बरंग गहरा ब्राउन की अन्य जेबों की तलाशी लिवाई गई तो उसके अन्दर स्वयं सुशीला कुमारी महिला सुपरवाईजर के नाम का विभागीय परिचय पत्र, एवं एक पर्सनल राईटिंग पैड (डायरी) जिसमें हिसाब किताब का विवरण लिखा हुआ है, एवं तीन स्वयं सुशीला कुमारी के पासपोर्ट साईज फोटो, एवं स्वयं का ड्राईबिग लाईसेंन्स एवं स्वयं के पदनाम की रवड मौहर, एवं अन्य कागजात रजिस्टर आदि मिले। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री विनोद कुमार से उसके हाथ साबुन व साफ पानी से साफ करवाये जाकर तथा एक स्टील के कटारे को उक्त गवाह से ही साबुन व

(6)

साफ पानी से साफ कराकर उक्त गवाह से ही उक्त साफ स्टील के कटारे में कैम्पर में से साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल बनवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया तत्पश्चात उक्त गवाह बिनोद कुमार से आरोपिया के हैण्ड बैग बरंग गहरा ब्राउन जिसकी दाहिनी प्रथम चैनदार जेब के अन्दर से रिश्वत राशि बरामद हुई के स्थान को गवाह विनोद कुमार से एक साफ रूई के फोबा की मदद से तैयार शुदा सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने देखकर धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया, तत्पश्चात उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा भरकवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क **HB-1, HB-2** अंकित कर चिट व कपडे पर गवाहान, परिवादिया व आरोपिया के हस्ताक्षर करवाये जाकर एवं मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने हस्ताक्षर कर कब्जा एसीबी लिया गया, तथा हैण्ड बैग बरंग गहरा ब्राउन की जेब जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई पर सभी सम्बन्धितों स्वतंत्र गवाहान, परिवादिया, आरोपियां के हस्ताक्षर कराये जाकर तथा स्वयं मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने हस्ताक्षर कर उक्त हैण्ड बैग बरंग गहरा ब्राउन को बजह सबूत एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सुई धागे से सिलवाकर सील्ड मौहर किया जाकर थैली पर मार्क **HB** अंकित कर थैली के उपर सम्बन्धितो स्वतंत्र गवाहान, परिवादिया, आरोपियां के हस्ताक्षर कराये जाकर तथा स्वयं मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने हस्ताक्षर कर बजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा रूई के फोवे को सुखाकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर मार्क एफ,, अंकित कर थैली पर संबंधितों स्वतंत्र गवाहान, परिवादिया, आरोपिया के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपिया श्रीमती सुशीला कुमारी महिला सुपवाईजर से परिवादिया श्रीमती अन्जू देवी महिला आंगनवाडी कार्यकर्ता से एवं उसके अन्य सहयोगी कार्यकर्ताओं से सम्बन्धित रिकार्ड बिल आदि के बारे में पूछा गया तो उसने स्वयं के पास कोई बिल बकाया नहीं होना बताते हुये बताया कि सारे बिलों का भुगतान हो चुका है जो सीडीपीओ कार्यालय मुण्डावर में होगें। इस पर सीडीपीओ कार्यालय मुण्डावर में दिनेश सैन डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (अस्थाई कर्मचारी) मिला जिससे परिवादिया श्रीमती अन्जू देवी से सम्बन्धित बिलों के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि कार्यालय की आलमारी में पूरे मुण्डावर केन्द्र के बिल रखे हुये है जिनमें से कहने पर उसने अन्जू देवी से सम्बन्धित भुगतान हुये बिलों की फोटो प्रमाणित प्रतिलिपि स्वयं द्वारा प्रमाणित कर उपलब्ध करवाई एवं पूछने पर परिवादिया के पैण्डिग भुगतान संम्बन्धित बिलों की भी प्रमाणित फोटो प्रतियां उपलब्ध कराई, जिन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर कब्जे में लिया गया। इसके बाद आरोपिया के हैण्ड बैंक बरंग गहरा ब्राउन की तलाशी में मिले–सामान दस्तावेज में से सुशीला कुमारी महिला सुपरवाईजर के नाम का विभागीय परिचय पत्र की फोटो प्रति एवं एक पर्सनल राईटिंग पैड (डायरी) जिसमें हिसाब किताब का विवरण लिखा हुआ है, को वास्ते जांच कब्जा पुलिस लिया गया एवं सुशीला कुमार के पासपोर्ट साईज फोटो, एवं स्वयं का ड्राईबिग लाईसेंन्स एवं स्वयं के पदनाम की रवड मौहर, मूल विभागीय परिचय पत्र एवं अन्य कागजात रजिस्टर आदि आरोपिया के कहे अनुसार उसके मौके पर आये हुये पति श्री कुलवीर सिंह को सुपुर्द किये गये। इसके बाद मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादिया श्रीमती अन्जू देवी से प्राप्त शुदा डिजिटल वाईस रिकॉडर को दोनों गवाहान व परिवादिया की मौजूदगी में चालू कर टेबिल स्पीकर की मदद से सुना सुनाया गया तो डिजिटल वाईस रिकॉडर में रिश्वत लेन–देन के समय की रूबरू वार्ता रिकार्ड होना पाई। इसके बाद आरोपिया श्रीमती सुशीला कुमारी महिला सुपरवाईजर व परिवादिया श्रीमती अन्जू देवी से पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन–देन तो बकाया नही है तो दोनो ने ही अपनी अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर नमूना सील अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय 05.30 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं दोनो महिला कानि0गण श्रीमती मकोल एवं श्रीमती रीना की मौजूदगी आरोपिया सुशीला कुमारी महिला सुपवाईजर से परिवादिया श्रीमती अन्जू देवी महिला आंगनवाडी कार्यकर्ता से मांगी एवं प्राप्त की गई 26,000/–रू. की रिश्वत राशि के बारे में पूछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट मुर्तिव कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 06.00 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादिया एवं बामौजूदगी महिला कानि0गण के समक्ष आरोपिया श्रीमती सुशीला कुमारी महिला सुपवाईजर को जुर्म से आगाह कर हस्ब कायदा अपराध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) मे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया एवं जामा तलाशी श्रीमती रीना महिला कानि0नम्बर 273 से लिवाई गई जिसमें एक मोबाईल वीवो कम्पनी का मय सिम मिला जो मौके पर उपस्थित आये आरोपिया के पति श्री कुलवीर सिंह को आरोपिया के कहे अनुसार वापिस लौटाया गया तथा आरोपिया की गिरफ्तारी की सूचना भी उसके पति कुलवीर सिंह को दी गई। फर्द गिरफ्तारी मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय 06.30 पीएम परिवादिया, आरोपिया एवं स्वंतत्र गवाहानों की मौजूदगी में फर्द नक्शा मौका घटनास्थल एवं हालात मौका मुर्तिब कर संबधितों के हस्ताक्षर

करवाये गये तथा आरोपिया श्रीमती सुशीला कुमारी महिला सुपरवाईजर का सेवा विवरण एवं सेवा पुस्तिका की फोटो प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई। इसके बाद समय 08.00 पीएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान तथा परिवादिया श्रीमती अन्जू देवी एवं गिरफतार शुदा आरोपिया श्रीमती सुशीला कुमारी महिला सुपवाईजर को मय महिला कानि0गण एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के सील/जप्त शुदा वजह सबूत माल को मय ट्रेप बोक्स व सरकारी लैपटॉप मय प्रिंटर के जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहनो से घटनास्थल कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मुण्डावर जिला अलवर से लेकर रवाना होकर समय 09.20 पीएम पर ए.सी.बी. चौकी अलवर द्वितीय अलवर वापस आया तथा वजह सबूत को श्री अजयकुमार मुख्य आरक्षक के सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया तथा गिरफ्तार शुदा आरोपिया को खाना खिलाकर कार्यालय में महिला कानि0गण श्रीमती मकोलबाई व श्रीमती रीना की निगरानी में रखा गया। इसके बाद समय 09.30 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादिया के सामने डिजीटल वाईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित जिसमें परिवादिया व आरोपिया श्रीमती सुशीला कुमारी महिला सुपरवाईजर के मध्य दिनांक 05.04.2023 को रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता रिकार्ड है को अलमारी से निकालकर उक्त डिजीटल वॉईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से चालू कराकर उसमें रिकार्ड वार्ता को टेबिल स्पीकरों की मदद से सुना व परिवादिया एवं गवाहान को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की साथ साथ ही हूबहू फर्द ट्रासकिप्ट तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये, उक्त वार्ताओं में परिवादिया श्रीमती अन्जू देवी द्वारा अपनी एवं आरोपिया श्रीमती सुशीला कुमारी की आवाज होने की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता से शब्द–ब–शब्द मिलान किया तथा वार्ता ट्रांसकिप्ट का दोनो गवाहान तथा परिवादिया ने सही होना स्वीकार किया, तत्पश्चात डिजीटल वॉईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से तीन खाली डीवीडीयों में संग्रहित करवाया जाकर बाद मिलान वार्ता सही संग्रहित होना सुनिश्चित कर संग्रहित शुदा तीनों डीवीडीयों पर अलग अलग मार्क A-1, A-2, A-3 अंकित कराकर डीवीडीयों के उपर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा तीनों डीवीडीयों में से दो डीवीडी मार्क A-1, A-2 को प्लास्टिक डीवीडी कवरों में अलग अलग रखवाकर डीवीडीयों को कवरों सहित कपडे की थैलियो में अलग अलग रखकर सुईधागे से सिलवाकर शील्ड मोहर कर थैलियों के उपर भी मार्का अंकित कराकर एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक डीवीडी मार्क A-3 को अनशील्ड वास्ते अनुसंधान पत्रावली पर रखा गया तथा शील्डशुदा डीवीडीयां मार्क A-1, A-2 को मालखाना प्रभारी को जमा मालखाना हेतु सुपुर्द किया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की डीवीडीयां बनाने में किसी भी प्रकार की कोई छेडछाड एवं कांटछाट नही की गई । इसके बाद समय 10.30 पीएम पर दिनांक 06.04.2023 को वक्त रिश्वत लेन–देन आरोपिया श्रीमती सुशीला कुमारी महिला सुपरवाईजर एवं परिवादिया श्रीमती अन्जू देवी के मध्य रूबरू हुई रिश्वत लेन–देन वार्ता रिकार्ड के वाईस रिकार्डर को मैमोरी कार्ड डले सहित कार्यालय कम्प्यूटर से कनैक्ट कराकर उसमें रिकार्ड लेन–देन वार्ता को टेबल स्पीकर के सहयोग से सुन व परिवादिया एवं गवाहान को सुनाते हुये साथ साथ रिकार्ड वार्तालाप की फर्द ट्रासकिप्ट तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से तीन खाली डीवीडीयों में संग्रहित करवाया जाकर बाद मिलान वार्ता सही संग्रहित होना सुनिश्चित कर संग्रहित शुदा तीनों डीवीडीयों पर अलग अलग मार्क B-1, B-2, B-3 अंकित कराकर डीवीडीयों के उपर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा तीनों डीवीडीयों में से दो डीवीडी मार्क B-1, B-2 को प्लास्टिक डीवीडी कवरों में अलग अलग रखवाकर डीवीडीयों को कवरों सहित कपडे की थैलियो में अलग अलग रखकर सुईधागे से सिलवाकर शील्ड मोहर कर थैलियो के उपर भी मार्का अंकित कराकर एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक डीवीडी मार्क B-3 को अनशील्ड वास्ते अनुसंधान पत्रावली पर रखा गया, उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की डीवीडीयां बनाने में किसी भी प्रकार की कोई छेडछाड एवं कांटछाट नही की गई, तत्पश्चात रिश्वत मांग सत्यापन एवं वक्त कार्यवाही लेन–देन संबंधी सेव वार्ताओं के मूल एसडी कार्ड सेनडिस्क 32 जीबी को डिजीटल वाईस रिकार्डर से निकालकर एक सफेद कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर उक्त एसडी कार्ड को उस कागज में रखकर वास्ते बजह सबूत एसडी कार्ड को कागज की चिट सहित एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क SD अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा दोनो शील्डशुदा डीवीडी मार्क B-1, B-2 को एवं शील्ड एसडी कार्ड मार्क–SD को मालखाना प्रभारी को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया । इसके बाद समय 11.20 पीएम पर आरोपिया श्रीमती सुशीला कुमारी महिला सुपरवाईजर को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुये रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 05.04.2023 एवं रिश्वत लेन–देन वार्ता दिनांक 06.04.2023 के कम में अपनी आवाज का नमूना दिये

डीवीडीयों पर अलग अलग मार्क B-1, B-2, B-3 अंकित कराकर डीवीडीयों के उपर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा तीनों डीवीडीयों में से दो डीवीडी मार्क B-1, B-2 को प्लास्टिक डीवीडी कवरों में अलग अलग रखवाकर डीवीडीयों को कवरों सहित कपडे की थैलियो में अलग अलग रखकर सुईधागे से सिलवाकर शील्ड मोहर कर थैलियो के उपर भी मार्का अंकित कराकर एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक डीवीडी मार्क B-3 को अनशील्ड वास्ते अनुसंधान पत्रावली पर रखा गया, उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की डीवीडीयां बनाने में किसी भी प्रकार की कोई छेडछाड एवं कांटछाट नही की गई, तत्पश्चात रिश्वत मांग सत्यापन एवं वक्त कार्यवाही लेन–देन संबंधी सेव वार्ताओं के मूल एसडी कार्ड सेनडिस्क 32 जीबी को डिजीटल वाईस रिकार्डर से निकालकर एक सफेद कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर उक्त एसडी कार्ड को उस कागज में रखकर वास्ते बजह सबूत एसडी कार्ड को कागज की चिट सहित एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क SD अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा दोनो शील्डशुदा डीवीडी मार्क B-1, B-2 को एवं शील्ड एसडी कार्ड मार्क–SD को मालखाना प्रभारी को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया । इसके बाद समय 11.20 पीएम पर आरोपिया श्रीमती सुशीला कुमारी महिला सुपरवाईजर को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुये रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 05.04.2023 एवं रिश्वत लेन–देन वार्ता दिनांक 06.04.2023 के कम में अपनी आवाज का नमूना दिये जाने हेतु कहा तो आरोपिया द्वारा गवाहान की उपस्थिति में अपनी आवाज का नमूना देने से स्पष्ट इंकार किया एवं लिखित में दिया उक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिव की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये, इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने हेतु काम में ली गई पीतल की नमूना ब्राशशील नम्बर (1) को जरिये कानि0 निहाल सिंह नम्बर 595 नष्ट करवाया जाकर फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये, बाद कार्यवाही गवाहान, परिवादिया को बाद हिदायत कार्यालय से रूखसत किया गया तथा गिरफ्तार शुदा आरोपिया श्रीमती सुशीला कुमारी महिला सुपरवाईजर राजीब गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर से बाद स्वास्थ परीक्षण महिला पुलिस थाना अलवर में बन्द हवालात कराकर सुरक्षित रखा गया जिसे अकब से वास्ते जेसी माननीय न्यायालय में पेश किया जावेगा।

अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से आरोपिया श्रीमती सुशीला कुमारी महिला सुपरवाईजर कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मुण्डावर जिला अलवर मुख्यालय ततारपुर द्वारा बाहैसियत एक लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीका अपनाकर स्वयं के लिये परिवादिया श्रीमती अन्जू देवी पत्नी श्री मनोज कुमार उम्र 32 वर्ष जाति प्रजापत निवासी ग्राम शीलगांव तहसील मुण्डावर जिला अलवर, हाल आंगनवाडी कार्यकर्ता आंगनवाडी केन्द्र गुवरियों की ढांणी मुण्डावर जिला अलवर, से उसके आंगनवाडी केन्द्र के वर्ष 2019 से मार्च 2020 तक एस.एच.जी. द्वारा सप्लाई पोषाहार बिलों के किये गये भुगतान में से 15 प्रतिशत राशि 15000/–रूपये रिश्वत राशि की मांग कर एवं परिवादिया के अन्य सहयोगी कार्यकर्ताओं के पोषाहार के हुये भुगतान का भी 15 प्रतिशत राशि इक्ट्ठा करने का दबाब बनाकर अपनी उक्त मांग के अनुशरण में दिनांक 06.04.2023 को कार्यालय महिला एवं बाल विकास मुण्डावर में परिवादिया से 26,000/–रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए मय रिश्वत राशि रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाना पाया जाता है।

अतः श्रीमती सुशीला कुमारी पत्नी श्री कुलवीर सिंह जाति जाट उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट रानोठ तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल महिला सुपवाईजर कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मुण्डावर जिला अलवर मुख्यालय ततारपुर (अलवर) का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन मुख्यालय प्रेषित है।

(परमेश्वर लाल)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अलवर द्वितीय, अलवर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-द्वितीय, अलवर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती सुशीला कुमारी, महिला सुपरवाईजर, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग मुण्डावर, जिला अलवर, मुख्यालय ततारपुर, जिला अलवर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 80/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(सवाई सिंह गोदारा)
महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 640-43 दिनांक 7.04.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाऐं, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, अलवर द्वितीय, अलवर।

07/4/23
महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।